राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर (राज0)

क्रमांक :– रसद/एफपीएस नियुक्ति/2025/152 दिनांक :– 17/7/25

उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु प्रेस विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। खाद्य विभाग के उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु आवेदन दिनांक 21.07.2025 से कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, सीकर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2025 से दिनांक 13.08.2025 को सायं 04 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में जिला रसद कार्यालय, सीकर में जमा कराए जा सकते है। निर्धारित तिथि/समय बाद अथवा अपूर्ण आवेदन–पत्रो या अन्य स्रोतो से प्राप्त आवेदन–पत्रो पर विचार नही किया जावेगा। रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:–

क.स.	तहसील का नाम	पंचायत समिति/नगरपालिका	दुकान का विवरण	ग्राम पंचायत	रिक्त दुकान की पोस कोड संख्या	रिक्त/नवसृजित	आरक्षण की स्थिति
1	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	बेदलासी भाग 1/2	रूल्याणी	–	नवसृजित	सामान्य
2	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	गाडोदा भाग 1/3	गाडोदा	–	नवसृजित	महिला आरक्षित
3	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	सूठोठ भाग 1/3	सूठोठ	–	नवसृजित	सामान्य
4	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	घिरणियां छोटा	कुमास जागीर	–	नवसृजित	महिला आरक्षित
5	नीमकाथाना	नीमकाथाना	आगरी	आगरी	8074	रिक्त	सामान्य
6	नीमकाथाना	नीमकाथाना	पुरानाबास	पुरानाबास	22145	रिक्त	महिला आरक्षित
7	नीमकाथाना	नीमकाथाना	हसामपुर	हसामपुर	23848	रिक्त	महिला आरक्षित
8	खण्डेला	खण्डेला	दायरा भाग 1/3	दायरा	–	नवसृजित	सामान्य
9	खण्डेला	खण्डेला	अठविधा	रामपुर	–	नवसृजित	महिला आरक्षित
10	खण्डेला	खण्डेला	सलेदीपुरा	नीमेड़ा	–	नवसृजित	सामान्य
11	खण्डेला	खण्डेला	गुवारिया	पनीहारवास	–	नवसृजित	सामान्य
12	खण्डेला	खण्डेला	जानकीपुरा	ढाल्यावास	–	नवसृजित	सामान्य
13	दांतारामगढ	दांतारामगढ	काटिया	खोरा	–	नवसृजित	सामान्य
14	दांतारामगढ	दांतारामगढ	चैनपुरा	धींगपुर	–	नवसृजित	सामान्य
15	दांतारामगढ	दांतारामगढ	चक मिटाई	भारीजा	–	नवसृजित	सामान्य
16	दांतारामगढ	दांतारामगढ	कैलाश	कैलाश	–	नवसृजित	सामान्य
17	दांतारामगढ	दांतारामगढ	मेई भाग 1/4	मेई	–	नवसृजित	सामान्य
18	दांतारामगढ	दांतारामगढ	बानूड़ा भाग 1/3	बानूड़ा	–	नवसृजित	महिला आरक्षित
19	धोद	धोद	सरवड़ी	सरवड़ी	21890	रिक्त	सामान्य
20	धोद	धोद	सांवलोदा लाडखानी	सांवलोदा धायलान	21893	रिक्त	महिला आरक्षित
21	धोद	धोद	अजीतपुरा (वार्ड 1,2,3)	जेरठी	–	नवसृजित	सामान्य
22	धोद	धोद	हर्ष 1/2	हर्ष	22096	रिक्त	सामान्य

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय उचित मूल्य दुकान आवंटन दिशा–निर्देश क्रमांक एफ 17(1)खा. वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों तथा एफ. 17(5)खा.वि. /न्याय/महि.आर/2019 जयपुर दिनांक 25.11.2020 एवं 10.05.2025 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। विभागीय उचित मूल्य दुकान आवंटन दिशा–निर्देश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **food.rajasthan.gov.in** पर तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। आवेदन–पत्र के साथ योग्यताएं एवं शर्ते प्रकाशित की गई है। सभी आवेदक योग्यता एवं शर्तो का आवश्यक रूप से अवलोकन करे। आवेदक द्वारा दी गई सूचनाये गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उचित मूल्य दुकानो की संख्या में कमी/वृद्दि/निरस्त या स्थान परिवर्तन आदि करने के लिए कार्यालय हमेशा सक्षम रहेगा। जिन स्थानो पर विज्ञप्ति उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु के कारण जारी की गई है उस पर आगामी कार्यवाही खाद्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अधीन रहेगी। उक्त विज्ञप्ति में दुकानो का आवंटन/नियुक्ति विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयो के निर्णयो के अध्याधीन रहेगा।

जिला कलक्टर (रसद),
सीकर

क्रमांकः– रसद/एफपीएस नियुक्ति/2025/152 दिनांक :–17/7/25

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार।
2. माननीय सांसद/विधायकगण जिला सीकर।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग जयपुर।
4. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग जयपुर।
5. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की बेवसाईट पर अपलोड़ करवाने बाबत्।
6. उपखण्ड अधिकारी सीकर/लक्ष्मनगढ़/नीमकाथाना/धोद/खण्डेला/दांतारामगढ /नेछवा।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सीकर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को भेजकर लेख है कि अपने–अपने उपखण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कराना सुनिश्चित करावे।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, सीकर, उपखण्ड अधिकारी,, सीकर/लक्ष्मनगढ़/नीमकाथाना/धोद/खण्डेला/दांतारामगढ /नेछवा।
10. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (रसद),
सीकर